Agrinnovate India

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2018-19

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2018-19

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखा सहित)

2018-19

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडलः

डॉ. त्रिलोचन महापात्र

श्री सुशील कुमार

श्री बिम्बाधर प्रधान

डॉ. अशोक दलवाई

डॉ. सुरेश एस. होन्नाप्पागोल

डॉ. संजीव सक्सेना

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः

डॉ. सुधा मैसूर

मुख्य वित्त अधिकारीः

श्री आवेश यादव

कम्पनी सचिवः

सुश्री धृति मदान

बैंकर्सः

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली
सिंडिकेट बैंक, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
ए-60, एनडीएसई, पार्ट 1, नई दिल्ली - 110 049

पंजीकृत कार्यालयः

जी-2, ए- ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012
दूरभाष : 011-25842122, 25842124

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली- 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
निदेशक की रिपोर्ट	1-26
वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट) एवं लाभ व हानि का विवरण	27-51
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	52-55
सचिवालय लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	56-59
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी	60

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण के साथ कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर आठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलोन एवं समेकित)

रिपोर्टाधीन अवधि वाले वर्ष में, आपकी कम्पनी का प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

क्रम सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1.	ऑपरेशन से राजस्व	30,57,630	3,54,634
2.	अन्य आय	4,43,78,770	3,61,66,748
3.	कुल व्यय	1,42,85,010	1,36,49,957
4	समग्र लाभ	3,31,55,649	2,21,02,260
5.	कर के लिए प्रावधान	94,92,100	62,62,545
6.	कर उपरांत शुद्ध लाभ	2,36,63,549	1,58,39,715

दिनांक 31.03.2019 को कम्पनी की बैलेंस शीट और दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ व हानि लेखा को तैयार कर लिया गया है जो कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

प्रचालनों का सारांश

कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहां कुल 3,54,634/- रूपये का राजस्व हासिल किया गया था वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम्पनी ने अपने कार्यों से रूपये 30,57,630/- का राजस्व हासिल किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए रूपये 13,45,126/- के मुकाबले वर्तमान वर्ष में रूपये 10,06,656/- का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम्पनी द्वारा जहां रूपये 1,58,39,715/- का शुद्ध लाभ कमाया गया वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में शुद्ध लाभ रूपये 2,36,63,549/- का था।

कम्पनी मामलों की स्थिति

रिपोर्टाधीन वर्ष में, कम्पनी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्य किया गया :

व्यवसाय विकास गतिविधियां :

विभिन्न हितधारकों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक पहल की गई हैं। इनमें विभिन्न कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में भागीदारी करना भी शामिल है जैसे कि

- ग्रामीण उद्यमशीलता एवं इनोवेशन वार्तालाप तथा प्रदर्शनी (पटियाला, पंजाब)
- राष्ट्रीय कृषि समिति बैठक 2018 (फिक्की फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली)
- यस बैंक ग्लोबल इंस्ट्टियूट वार्षिक स्टार्ट-अप कॉनक्लेव (इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली)
- 'ट्राइकोडर्मा के व्यावसायीकरण में समस्याएं एवं संभावनाएं' विषय पर कार्यशाला (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- 'मृदा स्वास्थ्य एवं पादप पोषण के लिए रोगाणु आधारित प्रौद्योगिकियां' पर कार्यशाला (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- भावी कृषि सम्मिट (इंडिया हैबीवेट सेन्टर, नई दिल्ली)
- जागरूकता कार्यशाला 2018, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- कृषि रसायनों पर सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन (फिक्की फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली)
- कैप्टन अमरिन्दर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के साथ विशेष पारस्परिक सत्र (आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली)
- बौद्धिक सम्पदा रणनीति एवं मुद्रीकरण पर कार्यशाला (होटल नोवोटेल : हैदराबाद)
- प्रॉमिस ऑफ एग्रीटेक फूड फॉर 1.32 बिलियन एंड बियॉण्ड (के-स्टार्ट बेंगलुरू)
- भारत - रूस प्रतिनिधिमण्डल (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- एग्री उडान (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड (नाबार्ड) (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर)
- उद्यमशीलता सम्मिट (कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली)
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का अग्रणी कार्यक्रम - इंडस्ट्री अकैडिमीया इन्टरफेस (आईआईटी दिल्ली परिसर, नई दिल्ली)
- कृषि अनुसंधान में बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर)
- ग्लोबल एग्री कनेक्ट (GAC) (होटल ली मेरीडियन, दिल्ली)
- एग्री स्टार्ट-अप कॉनक्लेव, भाकृअनुप पुरस्कार समारोह (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- मध्य पूर्व अफ्रीका में व्यवसाय वातावरण (फोरे कैम्पस, नई दिल्ली)
- भारत एवं कैरीकॉम (CARICOM) के बीच वीवीआईपी पारस्परिकता (वेबीनार)
- कृषि स्टार्ट-अप द्वारा इनोवेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार (फिक्की, नई दिल्ली)

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकियों की पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ाने के अपने विजन के साथ,

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित किया गया। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा अफ्रीकन-एशियन ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग को बढ़ाया गया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रमों तथा अन्य परियोजनाओं का आयोजन करने हेतु आसियान (ASEAN) सचिवालय के साथ सम्बद्धता को मजबूती प्रदान की गई।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की विशेषज्ञता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में उत्पन्न संस्थाओं के लाभ को हितधारकों तक पहुंचाने के लिए, कम्पनी द्वारा सभी राज्य कृषि एवं पशु-चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें ऑपरेशन तथा दिशानिर्देशों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। इससे एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) के लिए जहां प्रौद्योगिकी आधार मजबूत होगा वहीं साथ ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (NARES) इकोसिस्टम में इनोवेटिव भागीदारी के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

अपने अधिदेशों के अंग के रूप में, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) द्वारा अभी हाल ही में सफलतापूर्वक निम्नलिखित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य पूरा किया गया :-

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी का नाम	लाइसेंस की संख्या
1	**उष्णकटिबंधीय कंदीय फसलों के स्थान विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व पर्णीय निरूपण के लिए प्रौद्योगिकी** - भाकृअनुप - केन्द्रीय कंदाकार फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI), तिरूवनंतपुरम, केरल द्वारा विकसित	1
2	**विवेक मिलेट थ्रेसर एवं पर्लर के लिए प्रौद्योगिकी** - भाकृअनुप - विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1
3	**वीएल कीट ट्रैप के लिए प्रौद्योगिकी : सफेद ग्रब के लिए एक सस्ती प्रबंधन टूल** - भाकृअनुप - विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1
4	**वीएल साही हल के लिए प्रौद्योगिकी** - भाकृअनुप - विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1
5	**सीएमवीएल बेबी कॉर्न 2 के लिए प्रौद्योगिकी** - भाकृअनुप - विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1
6	**भेड़ एवं बकरी के लिए खनिज मिश्रण के लिए प्रौद्योगिकी** - भाकृअनुप - राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (ICAR - NIANP), बेंगलुरू, कर्नाटक द्वारा विकसित	2
7	**गोपशु एवं भैंस में पोस्ट पार्टम समस्याओं को कम करने के लिए एनीयॉनिक खनिज मिश्रण के लिए प्रौद्योगिकी**- भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1

8	**अंगूरों के लिए निर्णय समर्थित प्रणाली का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**– भाकृअनुप–राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCG), पुणे, महाराष्ट्र द्वारा विकसित	2
9	**डेयरी फार्म पर दूध में प्रति–जैविक अपशिष्ट का पता लगाने के लिए बीजाणु आधारित किट का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**–भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
10	**प्रोलीफिक एसिडीफाइंग लैक्टिक संवर्धन का उपयोग करके खट्टी दही प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण** – भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
11	**फास्ट एसिडीफाइंग उच्च शर्करा के सहिष्णु लैक्टिक संवर्धन के साथ मिस्टी दही की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण** – भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
12	**एक मैकेनीकल इकाई में शुष्क क्रिस्टेलाइजेशन विधि द्वारा तैयार पलाडा पायसम मिश्रण के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण**–भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
13	**सजीव मत्स्य कैरियर प्रणाली का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** – भाकृअनुप – सीआईपीएचईटी, लुधियाना, पंजाब द्वारा विकसित	1

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार, तकनीकी – व्यावसायिक आकलन एवं विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया ताकि सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों की क्षमताशील प्रौद्योगिकियों का तकनीकी – व्यावसायिक आकलन किया जा सके और मानक शर्तें तैयार की जा सकें।

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एग्रीनोवेट (AgIn) द्वारा विभिन्न भाकृअनुप संस्थानों जिनका विवरण नीचे दिया गया है, की प्रौद्योगिकियों को चुनने के लिए तकनीकी–व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।

- भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा
- भाकृअनुप – सीआईपीएचईटी (ICAR - CIPHET), लुधियाना, पंजाब
- भाकृअनुप – राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (ICAR - NIANP), बेंगलुरू, कर्नाटक
- भाकृअनुप – केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (ICAR - CIRB), हिसार, हरियाणा
- भाकृअनुप – केन्द्रीय कंदाकार फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI), तिरूवनंतपुरम, केरल
- भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़
- भाकृअनुप – भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIRR), हैदराबाद, तेलंगाना
- भाकृअनुप – राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCG), पुणे, महाराष्ट्र
- भाकृअनुप – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR), बेंगलुरू, कर्नाटक
- भाकृअनुप – केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (ICAR - CPRI), शिमला, हिमाचल प्रदेश

- भाकृअनुप – केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (ICAR - CISH), लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- भाकृअनुप – भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIPR), कानपुर, उत्तर प्रदेश
- भाकृअनुप–राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध केन्द्र (ICAR - NCIPM), पूसा, नई दिल्ली
- आणंद कृषि विश्वविद्यालय (AAU), आणंद, गुजरात
- भाकृअनुप–भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIMR), लुधियाना, पंजाब
- भाकृअनुप–राष्ट्रीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान (ICAR - IINRG), रांची, झारखण्ड़
- भाकृअनुप–भारतीय पशु–चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (ICAR - IVRI), इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश

भविष्य की ओर दृष्टि

कम्पनी अपने उपभोक्ताओं एवं प्रमुख हितधारकों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक मजबूत संगठन का निर्माण करने और सतत आधार पर कृषि के विकास में योगदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, कम्पनी, मीडिया प्रोन्नयन सहित सम्मेलनों, प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने वाली बैठकों और अन्य प्रोन्नयन आयोजनों के माध्यम से विजीबिलिटी में सुधार लाने हेतु अपने प्रयासों को साकार करने के प्रति प्रयासरत है।

लाभांश

कम्पनी के निदेशक विचाराधीन वर्ष के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

रिजर्व में राशि का स्थानान्तरण

कम्पनी के बोर्ड द्वारा अपने रिजर्व संग्रह में रूपये 2,36,63,549/- ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

जैसा कि पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निदेशक रिपोर्ट में बताया गया है, डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही श्री छबिलेन्द्र राऊल की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण होने पर श्री सुशील कुमार, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भाकृअनुप को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

पुन: श्री एस.के. त्रिपाठी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (डेयर/भाकृअनुप) द्वारा अपनी पदोन्नति होने और डेयर से स्थानान्तरण होने पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया गया था। श्री बिम्बाधर प्रधान, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (डेयर/भाकृअनुप) को कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया गया।

समीक्षा अवधि के दौरान, अन्य निदेशक यथावत बने रहे यथा डॉ. अशोक दलवाई, सीईओ, एनआरएए (डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, पशु पालन आयुक्त (DADF) तथा डॉ. संजीव सक्सेना, सहायक महानिदेशक (IP & TM), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं मानदेय) नियमावली, 2014 (तत्कालीन समय के लिए लागू किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः लागू सहित) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 2(51) एवं धारा 203 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम
1	डॉ. सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री आवेश यादव	मुख्य वित्त अधिकारी
3	सुश्री धृति मदान	कम्पनी सचिव

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, श्री रविन्द्रजीत सिंह, सीईओ ने त्यागपत्र दे दिया और डॉ. सुधा मैसूर, प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR) को कम्पनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया।

पुनः कोई आदेश होने तक श्रीमती निधि गौड़ा को सेवा से निलम्बित किया गया और सुश्री धृति मदान को कम्पनी की नई कम्पनी सचिव नियुक्त किया गया।

श्री आवेश यादव को दिनांक 12 जून, 2019 के कार्यालय आदेश द्वारा पदोन्नत करके भाकृअनुप – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR), बेंगलुरू स्थानान्तरित किया गया। इनके स्थान पर दिनांक 8 जुलाई, 2019 से तत्काल प्रभाव से श्री सौरभ मुनि, वित्त व लेखा अधिकारी को कम्पनी का नया मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) नियुक्त किया गया ।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की निम्नलिखित तीन बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

बैठक की तारीख	बैठक में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या
03.04.2018	5
19.09.2018	4
29.11.2018	5
15.01.2019	3
28.03.2019	3

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा इनकी नियुक्ति के समय ली जाए और उसे निदेशक की रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जाए।

वार्षिक रिटर्न का सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 92 (3) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में, वार्षिक रिटर्न का सार रिपोर्ट के साथ एमजीटी-9 के प्रारूप में संलग्न है।

सांविधिक लेखा-परीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरण का नोट

मैसर्स एस.सी. वर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था। मैसर्स वी.डी. अग्रवाल एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, दिल्ली को वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी का आंतरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था।

अनुसूची के नोट्स के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई आकलन अथवा विशिष्टता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिस पर पुनः टिप्पणी करने अथवा स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो। लेखा के नोट्स स्वतः व्याख्यात्मक हैं और इस बारे में कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

पुनः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (aa) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 619 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी के लेखा परीक्षक नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किए जाए और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में किया जाए।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 एवं नियमावली की शर्तों के तहत मैसर्स सौरभ अग्रवाल एंड कम्पनी, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को कम्पनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट के साथ सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कुछ आकलन दिए गए हैं जैसे कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं डीपीई एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 से संबंधित अनुपालन ।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी नियमावली, 2014 की धारा 149 एवं नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा अभी तक किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। इस संबंध में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभ्यर्थी के नामांकन प्राप्त हो चुके हैं और नामित अभ्यर्थियों से सहमति भी प्राप्त कर ली गई है।

उपरोक्त के अलावा, प्रबंधन द्वारा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। अन्य आकलनों को भावी अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों अथवा समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तात्विक बदलाव

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के मध्य कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य तात्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

लेखा परीक्षा (ऑडिट) समिति

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

क) डॉ. अशोक दलवाई – अध्यक्ष

ख) डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल – सदस्य

ग) डॉ. संजीव सक्सेना – सदस्य

लेखा परीक्षा समिति, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचना के खुलासे पर नजर रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और साख वाले हों (अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करेगी (आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, स्टाफ स्थिति और विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा की आवर्ती सहित आन्तरिक लेखा परीक्षा के कार्यों की उपयुक्तता की समीक्षा करेगी(तथा साथ ही आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ चर्चा करके कोई उल्लेखनीय परिणाम तथा अनुवर्ती कार्रवाई, आदि सुनिश्चित करेगी। डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल के त्यागपत्र देने के उपरान्त ऑडिट समिति का पुनः गठन किया गया है और इनके स्थान पर श्री बिम्बाधर प्रधान को समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी बोर्ड द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें शामिल सदस्य हैं :

1. डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, निदेशक
2. डॉ. संजीव सक्सेना, निदेशक

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही समिति को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने(यह सुनिश्चित करना कि पारिश्रमिक का स्तर एवं संयोजन न्यायसंगत तथा पर्याप्त हो, प्रदर्शन और पारिश्रमिक का सह-संबंधा स्पष्ट हो और इससे प्रदर्शन बेंचमाक्र पूरे होते हों तथा इसमें निर्धारित तथा प्रोत्साहन वेतन के बीच एक संतुलन शामिल हो(की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। समिति को प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रदर्शन के आधार पर इसकी नियुक्ति करने अथवा हटाने की सिफारिश का दायित्व भी सौंपा गया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अपनी अनेक बैठकों में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की नियुक्ति नीति एवं कार्यविधियों को अंतिम रूप दिया गया था जिसे उपाध्यक्ष, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार वेटिंग के लिए डेयर को प्रस्तुत किया गया है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी तथा निवेश का विवरण

ऋण का विवरण

क्र.सं.	ऋण की तारीख	ऋण लेने वाले का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए ऋण लेने वाले द्वारा ऋण का उपयोग किया जाना है	समयावधि जिसके लिए ऋण दिया गया है	बी. आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	ब्याज दर	प्रतिभूति
				शून्य					

निवेश का विवरण :

क्र. सं.	निवेश की तारीख	निवेश का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा निवेश का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी. आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	वसूली की अपेक्षित दर
			शून्य				

प्रदान की गई गारंटी/प्रतिभूति का विवरण :

क्र.सं.	प्रतिभूति/ गारंटी प्रदान करने की तारीख	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा गारंटी/ प्रतिभूति का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी.आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	कमीशन
			शून्य				

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च का विवरण इस प्रकार है :

क) ऊर्जा संरक्षण :

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	**लागू नहीं**
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम	**लागू नहीं**
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	**लागू नहीं**

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन :

प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास	**लागू नहीं**
उत्पन्न लाभ	**लागू नहीं**
अनुसंधान व विकास पर खर्च, यदि कोई है	**लागू नहीं**
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई है	**लागू नहीं**
आयात का वर्ष	**लागू नहीं**
क्या आयातित प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेशन किया गया	**लागू नहीं**
ऐसे क्षेत्रा जहां आयातित प्रौद्योगिकी का समावेशन नहीं किया जा सका, यदि कोई है	**लागू नहीं**

ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन/खर्च :

अर्जन अथवा आय	शून्य
खर्च	शून्य

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक वित्त द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में नियंत्रण किया जाता है।

जमा

कम्पनी ने किसी प्रकार का नियत (फिक्शड) जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार आज की तारीख में तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट के अनुसार मूल अथवा ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति

कम्पनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर-15/0008/2014-निदे (सीएसआर) दिनांक 23.01.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मंत्री महोदय (HI & PE) के अनुमोदन से सीएसआर के लिए डीपीई दिशानिर्देशों को वापिस ले लिया गया है। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि कम्पनी द्वारा सीएसआर पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में सीएसआर गतिविधियां चलाई जाएं।

वर्तमान में, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :

क) यह कि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया;

ख) यह कि 31 मार्च, 2019 को कम्पनी के मामलों (स्टेट ऑफ अफेयर्स) तथा इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ/हानि की सही और स्पष्ट स्थिति देने के लिए निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियां अपनाई गई तथा उपयुक्त निर्णय और आकलन विवेकपूर्ण ढंग से किए गए;

ग) यह कि धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने अथवा इनका पता लगाने और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूपण में उचित लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई;

घ) यह कि निदेशकों द्वारा अपेक्षाओं के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए गए;

ड) यह कि निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणालियां तैयार की गई और ऐसी प्रणालियां प्रचालन के क्रियान्वयन में पर्याप्त एवं प्रभावी थीं।

अभिस्वीकृति

कम्पनी के निदेशक सभी स्तरों पर कार्यरत कम्पनी के कर्मचारियों की सराहना करते हैं जिन्होंने कम्पनी की प्रगति और प्रदर्शन में अपना योगदान दिया है।

आपके निदेशक इस अवसर का लाभ कम्पनी के निदेशक बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग व मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करने में करते हैं। साथ ही मैं कम्पनी की प्रगति में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) कम्पनी के सांविधिक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक विभाग के अधिकारियों तथा कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं।

कृते निदेशक बोर्ड

स्थान : नई दिल्ली — ह0/-

दिनांक: 03 मार्च, 2020 — (त्रिलोचन महापात्र)

PAN: AAPPY2129R

फार्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक लाभ का सार
दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआईएन (CIN)	U01400DL2011GOI226486
ii	पंजीकरण की तारीख	19/10/2011
iii	कम्पनी का नाम	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
iv	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी सार्वजनिक कम्पनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली- 110 012
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (यदि कोई है) का नाम, पता एवं सम्पक्र विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यवसाय गतिविधियां

कम्पनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियों को बताया जाए।

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि समूह कोड	मुख्य गतिविधि का नाम एवं विवरण	व्यवसाय गतिविधि कोड	व्यवसाय गतिविधि का कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	A	कृषि	A4	प्रणाली में सृजित बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण एवं रख-रखाव करना और सार्वजनिक हित के लिए इसका व्यावसायीकरण/वितरण करना	शून्य
2	A	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों यथा बीज, रोपण सामग्री, टीका, नैदानिकी, अनेक अन्य जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद, अन्य मूल्य वर्धित निवेश एवं उत्पाद, फार्म उपकरण व मशीनरी, अन्य प्रौद्योगिकियां आदि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन, विपणन एवं उन्हें प्रचलित करना।	100 प्रतिशत

3	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	परामर्श सेवाओं, अनुबंधीय अनुसंधान, कस्टमाइज्ड क्षमता निर्माण आदि जैसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कौशल सेवाओं का प्रोफेशनल विस्तार प्रदान करना।	0%
4	A	कृषि	A4	भारत से बाहर विशेषकर अफ्रीका एवं एशिया प्रशांत क्षेत्रा में अनुसंधान एवं उत्पादन फार्म की स्थापना करना। विभिन्न कार्यशालाओं तथा प्रगति के माधयम से ग्लोबल ब्राण्ड का निर्माण करने की पहल के साथ संवर्धन निर्माण पहल का हिस्सा बनना	0%
5	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि इंजीनियरिंग आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना	0%
6	A	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा तथा अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सृजन करना	0%
7	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	मांग चालित अनुसंधान में सहयोग करने के लिए बाजार बुद्धि चातुर्य, मूल्यीकरण एवं मूल्यांकन मुद्दों जैसे प्रबंधन के साथ कृषि विज्ञान में समेकित कुशलता वाली गतिविधियों को चलाना	0%

III. स्वामित्व, सहायक तथा एसोसिएट कम्पनियों का विवरण

क्र.सं.	**कम्पनी का नाम व पता**	**सीआईएन/जीएलएन (CIN/GLN)**	**स्वामित्व/सहायक/ एसोसिएट**	**उपलब्ध शेयरों का %**	**लागू धारा**
1	शून्य				

IV. शेयरधारक पैटर्न (कुल इक्विटी में प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

शेयरधारक की श्रेणी	**वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या**				**वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत**	
	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %		
क) प्रोमोटर्स										
(1) भारतीय			शून्य				शून्य			

क) वैयक्तिक/ एचयूएफ (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में)	शून्य	60	60	0	शून्य	60	60	0		
ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	
ग) कारपोरेट बॉडीज			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य			शून्य				शून्य			
उप योग: (क) (1)										
(2) विदेशी										
क)एनआरआई – वैयक्तिक			शून्य				शून्य		शून्य	
ख) अन्य वैयक्तिक			शून्य				शून्य			
ग) बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य...			शून्य				शून्य			
उप योग : (क) (2)										
प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता क =k (क) (1) + (क) (2)										
ख.सार्वजनिक शेयर धारिता										
(1) संस्थान										
क) म्यूचुअल फंड			शून्य				शून्य		शून्य	

ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ग) केन्द्र सरकार			शून्य				शून्य			
घ) राज्य सरकार			शून्य				शून्य			
ड) उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य			
च) बीमा कम्पनियां			शून्य				शून्य			
छ) एफआई आईएस			शून्य				शून्य			
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य			
झ) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य			
उप योग (ख) (1):										
(2) गैर संस्थान										
क) बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य		शून्य	
i) भारतीय			शून्य				शून्य			
ii) विदेशी			शून्य				शून्य			
ख) वैयक्तिक			शून्य				शून्य			
i) रूपये एक लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य			
ii) रूपये एक लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य			
ग) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य			
उप योग (ख) (2) :										

कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=k (ख) (1) + (ख)(2)			शून्य				शून्य		शून्य	
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर			शून्य				शून्य		शून्य	
समग्र योग (क + ख +ग)			5,00,00,000				5,00,00,000		शून्य	

प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का %	
1.	श्री ए.जी. सुब्रहमण्यम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	4,99,99,940	99.99988	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री ए.आर. सेनगुप्ता	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री टी.बी. भाविस्कर	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री राजेश कुमार	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री राजन अग्रवाल	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	श्री जितेन्द्र मिश्रा	10	0.00002					

प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन है तो कृपया स्पष्ट करें)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा-वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/ स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)	4,99,99,990	100	4,99,99,990	100
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता		
प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य		
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा-वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/ स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें) दिनांक 8.11.2016 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से डेयर से प्राप्त नामांकन के अनुसंधान स्थानान्तरित	4,99,99,990	100	4,99,99,990
वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलग होने की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)	4,99,99,990	100	4,99,99,990

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता - शून्य

	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता**	
प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			

वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा-वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/स्थानान्तरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)				
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य			

V. कर्जदारी : लागू नहीं

बकाया /उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की कर्जदारी लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं				
	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जमा	शून्य	शून्य	शून्य	
कमी	शून्य	शून्य	शून्य	
निवल बदलाव			शून्य	
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक — **लागू नहीं**

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक का नाम			कुल राशि
1	**सकल वेतन**					
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं				
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य	लागू नहीं				
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	लागू नहीं				
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं				
3	स्वीट इक्विटी	लागू नहीं				
4	कमीशन	लागू नहीं				
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	लागू नहीं				
	अन्य (स्पष्ट करें)	लागू नहीं				
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	लागू नहीं				
	कुल (क)	लागू नहीं				
	अधिनियम के अनुसार सीमित					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः — **लागू नहीं**

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (1)				

2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (2)				
	कुल (ख)=k(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				
प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक (WTD) के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मानदेय					

क. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक को मानदेय: लागू नहीं

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
1	सकल वेतन				
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं			
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य	लागू नहीं			
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	लागू नहीं			
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं			
3	स्वीट इक्विटी	लागू नहीं			
4	कमीशन	लागू नहीं			
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	लागू नहीं			
	अन्य, स्पष्ट करें	लागू नहीं			
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	लागू नहीं			
	कुल (क)	लागू नहीं			
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

ख. अन्य निदेशकों को मानदेय : लागू नहीं

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (1)				
2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (2)				
	कुल (ख)=k(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				

ग. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मानदेय

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			
1	सकल वेतन	CEO	CS	CFO	कुल
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	11,92,583	3,30,000	शून्य	15,22,583
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य		शून्य	शून्य	
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	

	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	**11,92,583**	**3,30,000**	शून्य	**15,22,583**

VII. अपराधों की पेनल्टी/दण्ड/कम्पाउन्डिंग अथवा समझौता

किस्म	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनल्टी/दण्ड /लगाई गई समझौता फीस का विवरण	एथॉरिटी (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई है तो कृपया विवरण दें
क. कम्पनी					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ख. निदेशक					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				

अध्यक्ष की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

मुझे, दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने और हमारी कम्पनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की आठवीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पहले ही परिचालित किया जा चुका है और आप सबकी सहमति से मैं इसे इस प्रकार पढ़ता हूं।

मुझे यह देखकर अति संतोष हुआ है कि विभिन्न बोर्ड बैठकों के दौरान आत्मसात किए गए हमारे विचारों को टीम द्वारा प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया जा रहा है और मुझे आशा है कि आने वाले वर्ष में कहीं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है और इनका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ सामंजस्य कर लिया गया है। अब, हम भागीदारी के माध्यम से इनोवेशन और क्षमता चालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

व्यवसाय विकास गतिविधियां

विभिन्न हितधारकों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक पहल की गई हैं।

इसमें विभिन्न कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में की गई प्रतिभागिता शामिल थी जिसका विवरण इस प्रकार है :

- ग्रामीण उद्यमशीलता एवं इनोवेशन वार्तालाप तथा प्रदर्शनी (पटियाला, पंजाब)
- राष्ट्रीय कृषि समिति बैठक 2018 (फिक्की फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली)
- यस बैंक ग्लोबल इंस्ट्टियूट वार्षिक स्टार्ट-अप कॉनक्लेव (इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली)
- *'ट्राइकोडर्मा* के व्यावसायीकरण में समस्याएं एवं संभावनाएं' विषय पर कार्यशाला (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- 'मृदा स्वास्थ्य एवं पादप पोषण के लिए रोगाणु आधारित प्रौद्योगिकियां' पर कार्यशाला (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- भावी कृषि सम्मिट (इंडिया हैबीवेट सेन्टर, नई दिल्ली)
- जागरूकता कार्यशाला 2018, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- कृषि रसायनों पर सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन (फिक्की फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली)
- कैप्टन अमरिन्दर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के साथ विशेष पारस्परिक सत्र (आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली)
- बौद्धिक सम्पदा रणनीति एवं मुद्रीकरण पर कार्यशाला (होटल नोवोटेल : हैदराबाद)
- प्रॉमिस ऑफ एग्रीटेक फूड फॉर 1.32 बिलियन एंड बियॉण्ड (के-स्टार्ट बेंगलुरू)
- भारत - रूस प्रतिनिधिमण्डल (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- एग्री उडान (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड (नाबार्ड) (तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर)
- उद्यमशीलता सम्मिट (कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली)
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली का अग्रणी कार्यक्रम – इंडस्ट्री अकैडिमीया इन्टरफेस (आईआईटी दिल्ली परिसर, नई दिल्ली)
- कृषि अनुसंधान में बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर)
- ग्लोबल एग्री कनेक्ट (GAC) (होटल ली मेरीडियन, दिल्ली)
- एग्री स्टार्ट–अप कॉनक्लेव, भाकृअनुप पुरस्कार समारोह (एनएएससी परिसर, पूसा, नई दिल्ली)
- मध्य पूर्व अफ्रीका में व्यवसाय वातावरण (फोरे कैम्पस, नई दिल्ली)
- भारत एवं कैरीकॉम (CARICOM) के बीच वीवीआईपी पारस्परिकता (वेबीनार)
- कृषि स्टार्ट–अप द्वारा इनोवेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार (फिक्की, नई दिल्ली)

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकियों की पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ाने के अपने विजन के साथ, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित किया गया। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा अफ्रीकन–एशियन ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग को बढ़ाया गया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रमों तथा अन्य परियोजनाओं का आयोजन करने हेतु आसियान सचिवालय के साथ सम्बद्धता को मजबूती प्रदान की गई।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की विशेषज्ञता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में उत्पन्न संस्थाओं के लाभ को हितधारकों तक पहुंचाने के लिए, कम्पनी द्वारा सभी राज्य कृषि एवं पशु–चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें ऑपरेशन तथा दिशानिर्देशों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। इससे एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) के लिए जहां प्रौद्योगिकी आधार मजबूत होगा वहीं साथ ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (NARES) इकोसिस्टम में इनोवेटिव भागीदारी के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

अपने अधिदेशों के अंग के रूप में, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) द्वारा अभी हाल ही में सफलतापूर्वक निम्नलिखित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य पूरा किया गया :–

क्र.सं.	प्रौद्योगिकी का नाम	लाइसेंस की संख्या
1	**उष्णकटिबंधीय कंदीय फसलों के स्थान विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व पर्णीय निरूपण के लिए प्रौद्योगिकी** – भाकृअनुप – केन्द्रीय कंदाकार फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI), तिरूवनंतपुरम, केरल द्वारा विकसित	1
2	**विवेक मिलेट थ्रेसर एवं पर्लर के लिए प्रौद्योगिकी** – भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1

3	**वीएल कीट ट्रैप के लिए प्रौद्योगिकी :** सफेद ग्रब के लिए एक सस्ती प्रबंधन टूल – भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1
4	**वीएल साही हल के लिए प्रौद्योगिकी** – भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1
5	**सीएमवीएल बेबी कॉर्न 2 के लिए प्रौद्योगिकी** – भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़ द्वारा विकसित	1
6	**भेड़ एवं बकरी के लिए खनिज मिश्रण के लिए प्रौद्योगिकी** – भाकृअनुप – राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (ICAR - NIANP), बेंगलुरू, कर्नाटक द्वारा विकसित	2
7	**गोपशु एवं भैंस में पोस्ट पार्टम समस्याओं को कम करने के लिए एनीयॉनिक खनिज मिश्रण के लिए प्रौद्योगिकी** – भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
8	**अंगूरों के लिए निर्णय समर्थित प्रणाली का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** – भाकृअनुप – राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCG), पुणे, महाराष्ट्र द्वारा विकसित	2
9	**डेयरी फार्म पर दूध में प्रति-जैविक अपशिष्ट का पता लगाने के लिए बीजाणु आधारित किट का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**– भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
10	**प्रोलीफिक एसिडीफाइंग लैक्टिक संवर्धन का उपयोग करके खट्टी दही प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण** – भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
11	**फास्ट एसिडीफाइंग उच्च शर्करा के सहिष्णु लैक्टिक संवर्धन के साथ मिस्टी दही की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण**– भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
12	**एक मैकेनीकल इकाई में शुष्क क्रिस्टेलाइजेशन विधि द्वारा तैयार पलाडा पायसम मिश्रण के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण**– भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित	1
13	**सजीव मत्स्य कैरियर प्रणाली का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**– भाकृअनुप – सीआईपीएचईटी, लुधियाना, पंजाब द्वारा विकसित	1

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार, तकनीकी – व्यावसायिक आकलन एवं विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया ताकि सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों की क्षमताशील प्रौद्योगिकियों का तकनीकी – व्यावसायिक आकलन किया जा सके और मानक शर्तें तैयार की जा सकें।

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुसरण में, एग्रीनोवेट (AgIn) द्वारा विभिन्न भाकृअनुप संस्थानों जिनका विवरण नीचे दिया गया है, की प्रौद्योगिकियों को चुनने के लिए तकनीकी–व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।

- भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा
- भाकृअनुप – सीआईपीएचईटी (ICAR - CIPHET), लुधियाना, पंजाब
- भाकृअनुप – राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (ICAR - NIANP), बेंगलुरू, कर्नाटक
- भाकृअनुप – केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (ICAR - CIRB), हिसार, हरियाणा
- भाकृअनुप – केन्द्रीय कंदाकार फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI), तिरूवनंतपुरम, केरल
- भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड़
- भाकृअनुप – भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIRR), हैदराबाद, तेलंगाना
- भाकृअनुप – राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCG), पुणे, महाराष्ट्र
- भाकृअनुप – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR), बेंगलुरू, कर्नाटक
- भाकृअनुप – केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (ICAR - CPRI), शिमला, हिमाचल प्रदेश
- भाकृअनुप – केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (ICAR - CISH), लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- भाकृअनुप – भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIPR), कानपुर, उत्तर प्रदेश
- भाकृअनुप – राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंध केन्द्र (ICAR - NCIPM), पूसा, नई दिल्ली
- आणंद कृषि विश्वविद्यालय (AAU), आणंद, गुजरात
- भाकृअनुप – भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIMR), लुधियाना, पंजाब
- भाकृअनुप – राष्ट्रीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान (ICAR - IINRG), रांची, झारखण्ड़
- भाकृअनुप – भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (ICAR - IVRI), इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश

वित्तीय विशेषताएं

कम्पनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2017–18 में रूपये 3,54,634/– की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में अपने कार्यों अथवा प्रचालनों से रूपये 30,57,630/– का राजस्व अर्जित किया गया । पिछले वित्तीय वर्ष 2017–18 में रूपये 13,45,126/- के मुकाबले वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 10,06,656/– का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रूपये 1,58,39,715/– के शुद्ध लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपये 2,36,63,549/– का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।

कम्पनी को लगभग 64 करोड़ रूपये के सरप्लस फंड (वर्तमान सावधि जमा की परिपक्वता पर प्राप्त कर उपरांत राशि एवं फलेक्सी जमा में प्राप्त राशि) का निवेश करना था। दिनांक 28 मार्च, 2019 को आयोजित बोर्ड की 30वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कम्पनी द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए रूपये 62 करोड़ की सावधि जमा (FD) कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत अधिसूचित बैंकों से प्रतिस्पर्धी क्यूटेशन भेजने का अनुरोधा किया जाए और रूपये 2 करोड़ की राशि को सिंडिकेट बैंक में जहां कि कम्पनी का वर्तमान खाता है, में प्रचलित बाजार दरों पर छः माह के लिए सावधि जमा (FD) के तहत निवेश किया जाए। यह भी सिफारिश की गई थी कि कम्पनी द्वारा दिनांक 8 मई, 2017 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश किया जाना चाहिए और दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम 60 प्रतिशत निधि का निवेश सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों के पास और शेष 40 प्रतिशत निधि का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (जिनका कि भुगतान की गई पूंजी–मुक्त रिजर्व रूपये 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए) में किया जाना चाहिए। इसके उपरान्त, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोलियां मंगाई गई और रूपये 38 करोड़ का निवेश आईडीबीआई बैंक में और रूपये 24 करोड़ का निवेश बंधन बैंक में किया गया।

व्यवसाय आउटलुक

तथापि, वर्ष प्रारंभ होने पर धीमी परन्तु निरन्तर गति से व्यवसाय ऑपरेशन ने उल्लेखनीय गति पकड़ी। यहां यह भी नोट करना समीचीन होगा कि व्यवसाय ऑपरेशन के परिणाम उत्साहजनक हैं और अगले वित्त वर्ष में भी इस रूझान को निरन्तर जारी रखने की अपेक्षा की जाती है।

पिछला अनुभव भी यह बताता है कि किसी भी स्तर की निश्चितता के साथ पूर्वानमान करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल होता है। हमारे से संबंधित प्रस्तावों की मात्रा एवं प्रकृति के संबंध में हमारी सेवाओं के लिए मांग के स्तरों को अनेक बाह्य कारक प्रभावित करते हैं। इसलिए, भावी योजना करने हेतु हमें लचीलेपन को स्वीकार करने की जरूरत है और तब भी अनिश्चितता का एक स्थायी कारक बने रहने की संभावना है और इसे हमें अपने कार्यों तथा वित्तीय योजना में अन्तर्निहित करना होगा। इसके बावजूद, हम सर्वश्रेष्ठ संभावित रीति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।

यह कम्पनी गवर्नेंस में उत्कृष्टता प्रदान करने और दीर्घावधि टिकाऊ मान का सृजन करने के प्रति संकल्पबद्ध है। कम्पनी का प्रयास सम्मेलनों, प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन बैठकों तथा अन्य प्रोत्साहन आयोजनों जिनमें मीडिया प्रोन्नयन भी शामिल है, के माध्यम से अपनी विजीबिलिटी में सुधार करने हेतु अपने प्रयासों को और तेज करना है। मुझे विश्वास है कि कम्पनी द्वारा अपने मूल्यों को सही मायनों में बनाये रखते हुए उत्कृष्ट मानदण्ड उपलब्ध कराते हुए इस परिवर्तनशील विश्व में अपने ग्राहकों की जरूरतों को को पूरा करने में निरन्तर अपनी सेवाओं का विकास किया जाएगा और उनमें सुधार लाया जाएगा।

आभार

मैं, इस अवसर पर बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कम्पनी के सांविधिक एवं आन्तरिक लेखा परीक्षक (भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों और कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

धन्यवाद,
आपका,

ह0/-
(त्रिलोचन महापात्र)
अध्यक्ष,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 03 मार्च, 2020

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN :U01400DL2011GOI226486
31 मार्च, 2019 को तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
I.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों का फंड**	2	50,00,00,000	50,00,00,000
	क) शेयर पूंजी	3	16,86,83,841	14,50,20,292
(2)	**वर्तमान देयताएं अथवा देनदारियां**			
	क) व्यापार भुगतान योग्य अथवा देय	4	33,78,200	12,31,024
	ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	5	17,54,439	15,25,611
	ग) अल्पावधि प्रावधान	6	18,90,081	12,05,936
	कुल		**67,57,06,561**	**64,89,82,863**
II.	**परिसम्पत्तियां**			
	क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :	7	30,44,508	39,98,833
	ख) अगोचर परिसम्पत्ति	7	8,292	11,979
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	8	8,60,975	10,37,398
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	क) नकद एवं बैंक बैलेंस	9	1,07,28,843	1,22,01,795
	ख) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	10	66,10,63,943	63,17,32,858
	कुल		**67,57,06,561**	**64,89,82,863**
	वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 19011450 AAAABN 8492

(संजीव सक्सेना)
निदेशक
डीआईएन : 07545288

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन : 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च, 2020

(डॉ. सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

धृति मदान
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN :U01400DL2011GOI226486
31 मार्च, 2019 को तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट

(राशि रूपये में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व	11	30,57,630	3,54,634
अन्य आय	12	4,43,78,770	3,61,66,748
कुल राजस्व		**4,74,36,400**	**3,65,21,382**
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	13	62,34,064	73,37,024
वित्त लागत	14	9,030	7,128
अवमूल्यन एवं ऋण-परिशोधन व्यय	15	10,06,656	13,45,126
अन्य व्यय	16	70,35,260	49,60,679
कुल व्यय		**1,42,85,010**	**1,36,49,957**
असाधारण मद एवं कर से पहले लाभ		**3,31,51,390**	**2,28,71,425**
असाधारण मदें	17	**4,259**	**(7,69,165)**
कर - पूर्व लाभ		**3,31,55,649**	**2,21,02,260**
कर संबंधी व्यय :			
(1) चालू कर		93,15,677	64,32,469
(2) पूर्ववर्ती वर्ष		1,76,423	(1,69,924)
वर्ष के लिए लाभ		**2,36,63,549**	**1,58,39,715**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	18		
(1) मूलभूत		**0.47**	**0.32**
(2) डाइल्यूटिड		**0.47**	**0.32**

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 19011450 AAAABN 8492

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(संजीव सक्सेना)
निदेशक
डीआईएन : 07545288

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन : 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च, 2020

(डॉ. सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

धृति मदान
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN :U01400DL2011GOI226486
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	3,31,55,649	2,21,02,260
के लिए समायोजन :		
अवमूल्यन	10,06,656	13,45,126
ब्याज से आय	(4,43,47,835)	(3,61,56,245)
वर्किंग पूंजी बदलावों से पूर्व ऑपरेटिंग (लाभ/हानि)	**(1,01,85,530)**	**(1,27,08,859)**
वर्किंग पूंजी में बदलाव :		
ऑपरेटिंग परिसम्पतित्तयों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
प्राप्त योग्य व्यापार	-	7,85,400
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(2,85,52,216)	87,13,126
ऑपरेटिंग देनदारियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :	**21,47,176**	-
अन्य चालू देनदारियां	2,28,828	(11,72,848)
अल्पावधि प्रावधान	6,84,145	5,40,600
शुद्ध आय कर (भुगतान)/वापसी	(1,00,94,546)	(94,03,331)
ऑपरेटिंग गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह/(उपयोग में) (क)	**(4,57,72,143)**	**(1,32,45,912)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह		
अचल परिसम्पत्तियों पर पूंजी व्यय	(48,644)	(2,37,910)
सावधि जमा पर ब्याज	4,43,47,835	3,61,56,245
सावधि जमा		(2,00,00,000)
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह/(उपयोग में) (ख)	**4,42,99,191**	**1,59,18,335**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह/(उपयोग में) (ग)	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(14,72,952)	26,72,423
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	1,22,01,795	95,29,372
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य	**1,07,28,843**	**1,22,01,795**

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 000533 एन
(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या : 011450
UDIN : 19011450 AAAABN 8492
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च, 2020

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(संजीव सक्सेना)	**(त्रिलोचन महापात्र)**
निदेशक	निदेशक
डीआईएन : 07545288	डीआईएन : 07556629
(डॉ. सुधा मैसूर)	**धृति मदान**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव
PAN:ABNPS0707N	**A-27642**

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
नोट 1 : उल्लेखनीय एकाउन्टिंग नीतियां

नोट : 1

1.1 कॉरपोरेट सूचना

(क) कम्पनी को दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को निगमित किया गया था। कम्पनी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक शत प्रतिशत कम्पनी है।

(ख) श्री आवेश यादव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कर्मचारी हैं और वे कम्पनी के कार्यों को देख रहे हैं। इस बारे में न तो उन्हें अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।

(ग) डॉ. सुधा मैसूर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कर्मचारी हैं जो कि कम्पनी के कार्यों को देख रही हैं। इस संबंध में न तो उन्हें और न ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।

(घ) कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी 100 (सौ) करोड़ रूपये है। जबकि जारी की गई, अंशदान की गई व भुगतान की गई शेयर पूंजी 50 (पचास) करोड़ रूपये है।

एकान्टिंग का आधार एवं वित्तीय विवरण तैयार करना

कम्पनी के इन वित्तीय विवरणों को उचित मान पर मापे जाने वाले कुछ निश्चित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागत, जैसी कि अधिसमय के अनुसार लागू है, के तहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) के अनुसार तैयार किया गया है। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 133 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान (अधि सूचित की सीमा तक) के निर्धारित अधिदेशीय लेखा मानक शामिल होते हैं। कम्पनी द्वारा लगातार लेखा नीतियों को लागू किया गया है और पिछले वर्ष में इनका लगातार उपयोग किया गया है।

1.2 अनुमानों का उपयोग

भारतीय स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) की पुष्टि में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की सूचित की गई मात्रा में तथा सूचित आय एवं व्यय में अनुमान एवं धारणाएं बनाने की जरूरत होती है। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान मितव्ययी एवं उचित हैं। पुनः वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच भिन्नता तथा इन अनुमानों के कारण भिन्न परिणाम हो सकते हैं और अनुमानों को अवधियों में विचार किया जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात हैं अथवा उन्हें लागू किया गया है।

1.3 नकद एवं बैंक बैलेंस

नकद के अंतर्गत हाथ में नकदी एवं विदेशी मुद्रा में नकद होना शामिल है। नकद समतुल्य अल्पावधि बैलेंस (तीन माह अथवा अधिग्रहण की तारीख से कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश होते हैं जो कि नकद की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं और इनके मान में परिवर्तन का गैर उल्लेखनीय जोखिम होता है।

1.4 अवमूल्यन

अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दरों एवं रीति के अनुसार घटती मूल्य विधि के आधार पर प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान खरीदी अथवा बेची गई परिसम्पत्ति के लिए अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास की गणना प्रो-रेटा आधार पर की गई है।

1.5 लीज़

लीज़ जहां लीज़ मद के स्वामित्व के सभी जोखिमों व लाभों को कमतर प्रभावी रूप से बनाये रखा जाता है, को ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान को लीज अवधि पर एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में एक खर्च के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

1.6 राजस्व मान्यता

ब्याज आय के लिए नीति

सावधि जमा अथवा फ्लैक्सी जमा लेखा पर अर्जित ब्याज से प्राप्त राजस्व को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखकर एक समय अनुपात आधार पर विचार किया जाता है।

रायल्टी आय के लिए नीति

रायल्टी को लाइसेन्सिंग समझौते के देय आधार पर मान्यता दी जाती है और अर्जित किया जाता है।

लाइसेंस फीस के लिए नीति

लाइसेंस फीस को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जबकि संबंधित लाइसेंस समझौते अथवा करार के अनुसार लाइसेंस विशेष के बारे में लाइसेंसधारक को पूरी तकनीकी जानकारी, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लाइसेंस प्रदान करने के लिए होने वाला व्यय लाइसेंस की लागत (खर्च) के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की नीति

संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किए जाने पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने से प्राप्त राजस्व को मान्यता प्रदान की जाती है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं रूपांतरण

क) प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि को लागू करके दर्ज किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर, विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में निर्धारित ऐतिहासिक लागत पर समाप्त दर तथा गैर वित्तीय मदों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

ख) वित्तीय मदों के निपटान पर अथवा इनसे भिन्न दरों जिस पर इन्हें वर्ष के दौरान दर्ज किया गया था अथवा पूर्ववर्ती वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, पर पाई गई वित्तीय मदों के निपटान पर उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं को उस वर्ष में जिसमें ये उत्पन्न हुई हैं, में आय अथवा खर्च के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

1.8 कर्मचारी लाभ

प्रोविडेन्ट फण्ड और ईएसआईसी के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते ।

चूंकि, कम्पनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कवर नहीं होता, इसलिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.9 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

नियत परिसम्पत्तियों की लागत को संचित अवमूल्यन और हानि, यदि कोई है, को कम करके आंका जाता है। नियत परिसम्पत्तियों की लागत में उपयोग के लिए तैयार परिसम्पत्ति की तारीख तक अर्हक नियत परिसम्पत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज शामिल होता है और साथ ही उस तारीख तक अन्य आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं। नियत परिसम्पत्ति के जुड़े अनुवर्ती व्यय को केवल तभी कैपीटेलाइज्ड किया जाता है जब प्रदर्शन के पूर्ववर्ती आकलित मानक से आगे ऐसी परिसम्पत्तियों से भावी लाभों में एक वृद्धि में ऐसे व्यय परिणाम होते हैं।

1.10 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या द्वारा कर अथवा टैक्स (असाधारण मद, यदि कोई है, के कर उपरांत प्रभाव सहित) के उपरांत लाभ/हानि को भाग करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना को प्रति शेयर मूल आय को उत्पन्न करने और इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या जिसे सभी डाइल्यूटिड क्षमताशील इक्विटी शेयर के रूपांतरण पर जारी किया जा सका, के लिए इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या द्वारा डाइल्यूटिड क्षमताशील इक्विटी शेयर से जुड़े व्यय अथवा आय में लाभांश, ब्याज और अन्य प्रभार के लिए कर (असाधारण मद, यदि कोई है, के कर उपरांत प्रभाव सहित) के उपरान्त लाभ/हानि को भाग करके की जाती है।

1.11 आय पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में जैसा कि निर्धारित है, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर भुगतान योग्य कर राशि को वर्तमान कर माना जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को समय अन्तराल में भावी कर परिणामों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है जो कि आय के लिए प्रस्तुत लाभ और वित्तीय विवरण के अनुसार लाभ के बीच होते हैं। आस्थगित कर को कर की दरों तथा लागू कर कानूनों का उपयोग करके अथवा रिपोर्टिंग तारीख पर बाद में लागू कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अन्तरालों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। गैर अवशोषित अवमूल्यन तथा हानि के आगे जाने के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्ति को केवल तभी मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसी परिसम्पत्तियों को हासिल करने में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें उसकी सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि इस बात की एक संगत सुनिश्चितता हो कि पर्याप्त रूप में भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसकी तुलना ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियों से होगी जिनकी वसूली की जा सकती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है यदि ऐसी वस्तुएं समान गवर्निंग कर कानूनों द्वारा आय पर कर से संबंधित होती हैं और ऐसे सेट ऑफ के लिए कम्पनी में कानूनी प्रवर्तन अधिकार है। आस्थगित कर परिसम्पत्ति की समीक्षा उनकी वास्तविक क्षमता के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर की जाती है।

1.12 परिसम्पत्तियों की हानि

प्रत्येक बैलेंस शीट दिनांक पर परिसम्पत्तियों अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों के आगे जाने वाले मानों की समीक्षा हानि के लिए की जाती है। यदि हानि की मौजूदगी का कोई संकेत मिलता है तब ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि इन परिसम्पत्तियों की आगे जाने वाली राशि इनकी वसूल की जाने वाली राशि से अधिक होती है तब हानि की पहचान की जाती है। वसूल की जाने वाली राशि निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होती है। उपयोग में मूल्य का

पता समुचित छूट कारक पर आधारित इनके वर्तमान मूल्य में भावी नकद प्रवाह में छूट देते हुए लगाया जाता है। जब ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पूर्ववर्ती एकाउन्टिंग अवधियों में किसी परिसम्पत्ति के लिए किसी प्रकार की हानि की पहचान की गई थी तब उसमें कमी आ सकती है, हानि के इस प्रकार के प्रत्यावर्तन की पहचान पुनः मूल्यांकित परिसम्पत्तियों को छोड़कर लाभ एवं हानि के विवरण में की जाती है।

1.13 प्रावधान एवं आकस्मिकता

जब कभी पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कम्पनी पर कोई वर्तमान कर्तव्य होता है तब एक प्रावधान की पहचान की जाती है और यह संभावित है कि संसाधनों का बाहर की ओर प्रवाह कर्तव्य के निपटान के लिए जरूरी होगा जिसके लिए एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभ को छोड़कर) में उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती और बैलेंस शीट दिनांक पर कर्तव्य को पूरा करने हेतु वांछित सर्वश्रेष्ठ अनुमान के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और चालू सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु इनका समायोजन किया जाता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN :U01400DL2011GOI226486
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

2. शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2019 की तारीख के अनुसार	31.03.2018 की तारीख के अनुसार
प्राधिकृत		
प्रति 10/- रूपये के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
निर्गम, पूर्वकृत और प्रदत्त		
प्रति 10/- रूपये के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	50,00,00,000	50,00,00,000
कुल	**50,00,00,000**	**50,00,00,000**

(क) इक्विटी शेयर से सम्ब) शर्तें/अधिकारी

कम्पनी के पास केवल प्रति शेयर रूपये 10/- के समतुल्य मूल्य वाले इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट अथवा मत का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन (liquidation) के मामले में, इक्विटी शेयर के धारक सभी अधिमान्य राशि का वितरण होने के उपरान्त, कम्पनी की शेष परिसम्पत्तियों को हासिल करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयर धारकों द्वारा हासिल इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में होगा।

(ख) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक द्वारा धारित इक्विटी शेयर का विवरण

नाम	शेयरधारक का नाम	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
		शेयर की संख्या	शेयर की संख्या
माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार (धारिता का प्रतिशत)	100.00	5,00,00,000	5,00,00,000
		100.00 प्रतिशत	**100.00 प्रतिशत**

(ग) रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ तथा समाप्ति पर शेयर की संख्या का मिलान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	5,00,00,000	5,00,00,000
वर्ष के अंत में	**5,00,00,000**	**5,00,00,000**

3. आरक्षित एवं अधिशेष अथवा सरप्लस

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार सरप्लस :		
पिछले वित्तीय विवरण से आगे लाया गया शेष	14,50,20,292	12,91,80,577
जमा : वर्ष के लिए लाभ	2,36,63,549	1,58,39,715
कुल	**16,86,83,841**	**14,50,20,292**

4. प्राप्य व्यापार

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
लाइसेंस फीस की हिस्सेदारी – भाकृअनुप का हिस्सा	18,70,400	12,31,024
लाइसेंस फीस की हिस्सेदारी – संस्थान का हिस्सा	15,07,800	--
कुल	**33,78,200**	**12,31,024**

5. अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
भुगतान योग्य सांविधिक देय अथवा देनदारी	2,66,149	73,544
प्रतिभूति जमा	1,22,900	60,000
आसियान (ASEAN) को भुगतान योग्य	13,12,890	12,30,299
अन्य देनदारियां	52,500	1,61,768
कुल	**17,54,439**	**15,25,611**

6. अल्पावधि प्रावधान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
व्यय प्रावधान	18,90,081	12,05,936
कुल	**18,90,081**	**12,05,936**

नोट 7 : दिनांक 31.03.2018 की तारीख को नियत परिसम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

क्र.सं.	परिसम्पत्ति	समग्र ब्लॉक				अवमूल्यन				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल, 2018 के अनुसार	वर्ष के दौरान जमा	विलोपन/	अंतिम मूल्य	वर्ष के प्रारंभ में मूल्य	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	अंतिम मूल्य	31 मार्च, 2016 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी	31 मार्च, 2017 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी
	क) गोचर अथवा वास्तविक परिसम्पत्तियां										
1	कम्प्यूटर एवं एक्सेसरीज	11,60,567	-	-	11,60,567	9,35,109	1,42,399	-	10,77,508	83,059	2,25,458
2	फर्नीचर एवं फिक्सचर	44,47,696	15,338	-	44,63,034	28,30,468	4,20,005	-	32,50,473	12,12,561	16,17,228
3	कार्यालय उपकरण	29,07,819	33,306	-	29,41,125	24,93,810	1,90,661	-	26,84,471	2,56,654	4,14,009
4	बिजली स्थापन एवं उपकरण	13,97,560	-	-	13,97,560	8,82,608	1,33,321	-	10,15,929	3,81,631	5,14,952
5	भवन	17,14,880	-	-	17,14,880	4,87,694	1,16,583	-	6,04,277	11,10,603	12,27,186
	कुल (क)	**1,16,28,522**	**48,644**	**-**	**1,16,77,166**	**76,29,689**	**10,02,969**	**-**	**86,32,658**	**30,44,508**	**39,98,833**
	ख) अगोचर या अवास्तविक परिसम्पत्तियां										
6	सॉफ्टवेयर	1,65,838	-	-	1,65,838	1,53,859	3,687	-	1,57,546	8,292	11,979
	कुल (ख)	**1,65,838**	**-**	**-**	**1,65,838**	**1,53,859**	**3,687**	**-**	**1,57,546**	**8,292**	**11,979**
	समग्र योग (क + ख)	**1,17,94,360**	**48,644**	**-**	**1,18,43,004**	**77,83,548**	**10,06,656**	**-**	**87,90,204**	**30,52,800**	**40,10,812**
	पूर्ववर्ती वर्ष	**1,15,56,450**	**2,37,910**	**-**	**1,17,94,360**	**64,38,422**	**13,45,126**	**-**	**77,83,548**	**40,10,812**	**51,18,028**

एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

नोट 8 : आस्थगित कम परिसम्पत्ति/देनदारियां

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
डब्ल्यूडीवी के हिसाब से		
कम्पनी अधिनियम के अनुसार	30,52,800	40,10,812
आयकर अधिनियम के अनुसार	61,47,607	69,90,580
कम्पनीज अधिनियम की तुलना में आयकर की अधिकता	(30,94,807)	(29,79,768)
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		
कम्पनीज अधिनियम के अनुसार	-	7,85,400
आयकर अधिनियम के अनुसार	-	
कुल	30,94,807	37,65,168
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / 27.82 प्रतिशत	8,60,975	10,37,398
लाभ एवं हानि के विवरण में अभिज्ञात	**1,76,423**	**(1,69,924)**

9. नकद एवं बैंक बैलेंस

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
नकद एवं नकद समतुल्य		
हाथ में नकदी	-	5,000
बैंक में बैलेंस		
चालू खाते में	1,07,28,843	1,21,96,795
कुल	**1,07,28,843**	**1,22,01,795**

10. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	3,45,90,803	2,64,10,635
आयकर क्रेडिट	7,78,869	29,70,862
आयकर वापसी योग्य (refundable)	49,22,117	19,51,255
पूर्व भुगतान किया गया व्यय	29,953	28,114
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,575	5,587
जीएसटी इनपुट	7,40,626	3,66,405
बैंक से सावधि जमा	62,00,00,000	60,00,00,000
कुल	**66,10,63,943**	**63,17,32,858**

एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लिमिटेड
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

11. प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
लाइसेंस फीस	27,04,000	-
परामर्शी फीस	3,53,630	3,54,634
कुल	**30,57,630**	**3,54,634**

12. अन्य आय

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
सावधि जमा पर ब्याज	4,35,46,884	3,60,74,503
केन्द्रीय बैंक पर ब्याज	1,506	1,185
आयकर रिफण्ड पर ब्याज	7,99,445	-
टीडीएस रिफण्ड पर ब्याज	-	80,557
जब्त सुरक्षा जमा राशि	-	10,000
विविध	30,935	503
कुल	**4,43,78,770**	**3,61,66,748**

13. कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
वेतन		
स्थायी कर्मचारियों को	11,92,582	21,53,092
अनुबंधीय कर्मचारियों को	21,85,584	26,41,332
एजेन्सी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को	28,17,168	24,46,016
मोबाइल/टेलिफोन व्यय की प्रतिपूर्ति	35,070	96,584
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	3,660	-
कुल	**62,34,064**	**73,37,024**

नोट 14 : वित्त लागत

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
टीडीएस पर ब्याज	874	581
जीएसटी पर ब्याज	1,846	150
सेवा कर पर ब्याज	–	14
बैंक प्रभार	6,310	6,383
कुल	**9,030**	**7,128**

नोट 15 : अवमूल्यन एवं ऋण-परिशोधन व्यय

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
अवमूल्यन	10,06,656	13,45,126
कुल	**10,06,656**	**13,45,126**

नोट 16 : अन्य व्यय

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
अन्य प्रत्यक्ष लागत लाइसेंस फीस की लागत	21,23,200	-
अन्य अप्रत्यक्ष लागत		
प्रशासनिक व्यय	88,442	78,978
किराया, दरें एवं कर	1,74,804	1,74,804
कॉमन सेवा प्रभार	6,33,501	6,87,900
पूर्व-अवधि व्यय	2,13,976	1,01,919
बिजली एवं जल	5,04,740	4,91,939
प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी	2,17,181	1,83,167
संचार	23,483	42,832
वाहन व्यय	6,94,986	7,38,492
यात्रा	2,94,281	3,83,588
विनिमय उतार-चढ़ाव	82,591	4,525
विज्ञापन	6,22,745	8,46,663
फीस एवं अंशदान	72,001	1,02,444
मरम्मत एवं रख रखाव - अन्य	5,27,091	5,47,110
कानूनी एवं प्रोफेशनल प्रभार अथवा खर्च	2,72,360	2,81,672
आन्तरिक ऑडिट फीस	30,261	47,200
सचिवालय ऑडिट फीस	1	50,000
ऑडीटर्स मानदेय - ऑडिट फीस	46,000	42,000
विविध	4,13,616	1,55,446
कुल	**70,35,260**	**49,60,679**

नोट 17 : असाधारण मदें

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार
बट्टे खाते (written-off) का प्रावधान	4,259	16,235
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	-	(7,85,400)
कुल	**4,259**	**(7,69,165)**

एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लिमिटेड

अन्य देनदारियां

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
नार्म, हैदराबाद के लिए आसियान सचिवालय को रिफण्ड योग्य	7,66,651
डीएसआर के लिए आसियन सचिवालय को रिफण्ड योग्य	5,46,239
अर्श बायोटेक प्रा.लि.	52,500
भाकृअनुप - राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल	8,12,000
भाकृअनुप - राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCG), पुणे	1,75,000
भाकृअनुप - विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अलमोड़ा	5,20,800
कुल	**28,73,190**

सांविधिक देय भुगतान योग्य

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
जीएसटी आउटपुट	2,27,453
आरसीएम के तहत जीएसटी आउटपुट	7,920
विज्ञापन पर टीडीएस	2,580
वाहनों को किराये पर लेने पर टीडीएस	1,220
रख रखाव पर टीडीएस	1,594
मानवशक्ति आपूर्ति पर टीडीएस	5,339
प्रिन्टिंग पर टीडीएस	2,000
प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस	11,803
वेतन पर टीडीएस	6,240
कुल	**2,66,149**

बैंक के पास बैलेंस

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
सिंडिकेट बैंक	94,36,639
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12,92,204
कुल	**1,07,28,843**

एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

नोट 18 : प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ व हानि के विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ	2,36,63,549 5,00,00,000	1,58,39,715 5,00,00,000
इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या	5,00,00,000	5,00,00,000
क. प्रत्येक रूपये 10/- प्रति शेयर मूल अर्जन	**0.47**	**0.32**
ख. प्रत्येक रूपये 10/- प्रति शेयर डाइल्यूटिड अर्जन	**0.47**	**0.32**

नोट 19 : आकस्मिकता देनदारियां

विवरण	31 मार्च, 2019 के अनुसार	31 मार्च, 2018 के अनुसार
निम्न के संबंध में आकस्मिकता देनदारियां विद्यमान रहती हैं : क) कम्पनी के विरूद्ध ऋण के रूप में दावे को नहीं माना गया - वस्तु एवं सेवा कर मामले - आयकर मामले - अन्य मामले श्रीमती निधि गोडा का वेतन	 शून्य शून्य शून्य 21,22,836	 शून्य शून्य शून्य
ख) पूंजी लेखा पर शेष अनुबंध की अनुमानित राशि को लागू किया जाए	शून्य	शून्य
ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक उत्तरदायी है	शून्य	शून्य

एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लिमिटेड

नोट 20 : पार्टी के लेन-देन से संबंधित

(i) संबंधित पक्षों का नाम जहां नियंत्रण विद्यमान है और संबंधित पक्षों जिनके द्वारा लेन-देन किया गया और उनका संबंध

क) कम्पनी पर विशेष प्रभाव रखने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/व्यक्ति

- डॉ. त्रिलोचन महापात्र, निदेशक
- श्री बिम्बाधर प्रधान, निदेशक
- डॉ. संजीव सक्सेना, निदेशक
- डॉ. अशोक महादेव दलवाई, निदेशक
- श्री छबिलेन्द्र राऊल, निदेशक
- डॉ. सुरेश संगप्पा होन्नाप्पागोल, निदेशक
- डॉ. सुधा मैसूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री रविन्द्रजीत सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- सुश्री धृति मदान, कम्पनी सचिव
- सुश्री निधि गोडा, कम्पनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के लेन-देन के संबंध में खुलासा

विवरण	संबंध	दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रबंधकीय मानदेय			
रविन्द्रजीत सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	11,92,577	16,99,925
धृति मदान	कम्पनी सचिव	2,99,794	–
निधि गोडा	कम्पनी सचिव	–	4,89,046

नोट 21 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act, 2006) के तहत वर्णित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय का विवरण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय

कॉरपोरेट मामलो के मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 1022(ई) जारी किया गया जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भुगतान योग्य राशि के संबंध में कुछ निश्चित खुलासे

निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार, ऐसे उद्यमों को भुगतान योग्य राशि के संबंध में खुलासे को वित्तीय विवरणों में दिया गया है जिनका आधार वेण्डर्स से प्राप्त सूचना है। इस संबंध में आवश्यक सूचना यहां दी गई है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को	दिनांक 31 मार्च, 2018 को
मूल	–	–
ब्याज	–	–
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियुक्त दिवस से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथ साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) की धारा 16 के संबंध में खरीददार द्वारा अदा किये गये ब्याज की राशि।	–	–
उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना भुगतान (वर्ष के दौरान नियुक्त दिवस से आगे भुगतान किया गया) करने में हुई देरी के लिए देय ब्याज तथा भुगतान योग्य राशि।	–	–
प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष बिना भुगतान वाली राशि।	–	–
अनुवर्ती वर्षों में जब तक कि ऐसी तारीख जब उपरोक्त ब्याज देय होता है, का भुगतान वास्तविक रूप से लघु उद्यम को किया जाता है, में शेष देय ब्याज और भुगतान योग्य राशि		

नोट 22 : आस्थगित कर देयता/परिसम्पत्तियां

कम्पनी में इंस्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकान्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा ''आय पर कर हेतु एकान्टिंग'' पर जारी एएस-22 का अनुपालन किया जा रहा है। आस्थगति कर परिसम्पत्ति की पहचान की जाती है और उसे केवल विर्च्युल निश्चितता की सीमा तक आगे ले जाया गया कि भविष्य में परिसम्पत्ति फलीभूत होगी।

नोट 23 : पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े

जहां कहीं वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/खुलासे के साथ सादृश्य करना जरूरी है वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत/पुन: श्रेणीबद्ध किया गया है।

नोट 24 : सी एंड ए जी द्वारा अनुपूरक ऑडिट के तदनुसार लेखा में संशोधन

कम्पनी के अनुपूरक ऑडिट को पीडी एवं पदेन, एमएबी- IV कार्यालय द्वारा किया गया था, तदुपरान्त लेखा पर प्रोवीजनल टिप्पणियां जारी की गई थीं। दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मण्डल ने अनुपूरक ऑडिट के दौरान उठाई गई टिप्पणियों पर विचार किया और तदनुसार अनुपूरक ऑडिट के दौरान उठाई गई टिप्पणियों को शामिल करके कम्पनी के लेखा को संशोधित करने का निर्णय किया। पीडी एवं पदेन (Ex - Officio), एमएबी - IV कार्यालय, दिल्ली द्वारा अपने दिनांक 13 फरवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से लेखा के संशोधन संबंधी अनुमोदन की सूचना दी गई। लेखा में संशोधन करने

पर, कम्पनी की 'अन्य आय' में रूपये 61.86 लाख की बढ़ोतरी हुई थी जबकि 'वर्ष के लिए लाभ' और 'रिजर्व एवं सरप्लस' में रूपये 44.73 लाख की वृद्धि देखी गई। इसी प्रकार, ऑडिट टिप्पणियों के प्रभाव में संशोधित लेखा में रूपये 21.23 लाख की आकस्मिकता देयता अथवा देनदारी प्रदर्शित हुई है। इसके साथ ही अनुपूरक ऑडिट के दौरान उठाई गई टिप्पणियों के अनुसरण में जहां कहीं जरूरी था, वहां आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत/पुन: श्रेणीबद्ध किया गया है।

समसंख्यक तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार निदेशक मण्डल की ओर से

कृते एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकान्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(संजीव सक्सेना)
निदेशक
DIN % 07545288

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
DIN % 07556629

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
एम.नं. 011450
UDIN : 19011450AAAABN8492

(डॉ. सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
ए–27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM 3684 iQ

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़,
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

विचार अथवा दृष्टिकोण

हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़** (दि कम्पनी') के संशोधित वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षा की है जिनमें पीडी एवं पदेन, एमएबी - IV कार्यालय द्वारा उठाए गए ऑडिट पर्यवेक्षणों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़** (दि कम्पनी') के संशोधित वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षा की है जिसमें कि 31 मार्च, 2019 तक की संलग्न बैलेंस शीट, वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य स्पष्टीकारक सूचना (जिसे यहां वित्तीय विवरण कहा गया है) का सारांश सम्मिलित है।

हमारे विचार में तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और हमारे पास उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण द्वारा वांछित रीति में कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') द्वारा प्रदान की गई जरूरी जानकारी प्रदान की गई और साथ ही दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार कम्पनी के मामलों और इसी तारीख पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में एक सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान किया गया । पुनः कम्पनी के लेखा को संशोधित किया गया ताकि पीडी एवं पदेन, एमएबी IV कार्यालय द्वारा प्रारंभिक ऑडिट के दौरान उठाई गई टिप्पणियों को प्रभावित किया जा सके। इसका प्रभाव नोट 24 में कम्पनी के लेखा नोट में दर्शाया गया है।

मत का आधार

हमने अधिनियम (SAs) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा का कार्य किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी अपनी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी का पुनः वर्णन करने की है। अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुड़ी स्वतंत्र जिम्मेदारियों के साथ मिलकर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी नीतिशास्त्र आचरण के अनुसरण में हम स्वतंत्र कम्पनी है और इसके तहत हमने इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी नीतिशास्त्र आचरण और इनकी आवश्यकताओं के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य हासिल किए हैं वह वित्तीय विवरणों पर हमारे ऑडिट मत के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार हैं।

अन्य जानकारी - निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

क कम्पनी का निदेशक मण्डल अपनी रिपोर्ट (यहां 'बोर्ड की रिपोर्ट' कहा गया है) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस रिपोर्ट में कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के

तहत वांछित विभिन्न जानकारी शामिल होती है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे ऑडीटर्स की रिपोर्ट शामिल नहीं होती।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार अथवा मत में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल नहीं की जाती और हम किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को प्रकट नहीं करते।

ख. वित्तीय कथन की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ना है और ऐसा करने में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के कोर्स के दौरान हासिल की गई अपनी जानकारी अथवा वित्तीय कथनों के साथ बोर्ड रिपोर्ट में सामग्री की असंगतता है अथवा सामग्री का गलत अनुमान प्रकट होता है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि बोर्ड की रिपोर्ट में सामग्री का गलत अनुमान होता है तब हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की जरूरत है। हमने इस संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायिता

क. कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') की धारा 134 (5) के संबंध में वर्णित मामलों के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है जो विनिर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के तदनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही स्थिति दर्शाते हैं।

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के साथ तारतम्य में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा अन्य विसंगति से बचने एवं उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रख-रखाव (समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग (न्यायोचित एवं सटीक निर्णय तथा अनुमान लगाना (पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन एवं रख-रखाव (करना शामिल है जिनका प्रचालन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो कि कम्पनी की सही एवं वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण तत्वों का गलत अनुमान लगाने की संभावना से रहित है।

ख. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कम्पनी की क्षमता का 'गोइंग कनसर्न (Going Concern) अर्थात उन्नतिशील व्यवसाय' के रूप में बने रहने, गोइंग कनसर्न से जुड़े मामलों का खुलासा करने जैसा कि लागू है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है और इसमें साथ ही ऑपरेशन को रोकने अथवा कोई वास्तविक विकल्प नहीं होने में कम्पनी को नष्ट करने के आशय के बिना लेखा के विचारणीय आधार का उपयोग किया गया।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखने के लिए जिम्मेदार है।

लेखा परीक्षक की उत्तरदायिता

क. हमारा उद्देश्य इस बात के वांछनीय आश्वासन हासिल करना है कि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्या सम्पूर्णता में वित्तीय विवरण सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त है । इसके अलावा हमारा उद्देश्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। वांछनीय आश्वासन केवल आश्वासन का उच्च स्तर होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है जिसकी लेखा परीक्षा का आयोजन एसए के अनुसरण में किया गया, के द्वारा हमेशा ही विद्यमान रहने पर सामग्री के गलत विवरण का पता लगाया जाएगा। गलत अनुमान धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उभर सकता है और सामग्री पर निजी

तौर पर अथवा सामूहिक तौर पर विचार किया जाता है। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए यूजर्स के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

ख. एसए के अनुसरण में ऑडिट के भाग के तौर पर, हमने पेशेवर निर्णय को अपनाया और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयवाद अथवा अविश्वास का रख-रखाव किया। साथ ही हमने निम्न कार्य भी किया :

i) वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों भले ही वे धोखाधड़ी अथवा त्रृटि के कारण हों, की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट कार्यविधि की डिजाइन तैयार करना एवं उसका निष्पादन करना और साथ ही हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने में पर्याप्य एवं समुचित ऑडिट साक्ष्य हासिल करना । धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत अनुमान का पता नहीं लगा पाने के परिणामस्वरूप जोखिम त्रुटि से उपजे परिणाम की तुलना में कहीं उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधड़ी में आपसी मिली-भगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर किया गया विलोपन, गलत प्रतिनिधित्व अथवा आन्तरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

ii) ऑडिट कार्यविधि की डिजाइन जो कि परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, करने में ऑडिट से संबंधित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ हासिल करना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इस तथ्य पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण को चलाने की प्रभावशीलता है।

iii) प्रबंधन द्वारा किए गए खुलासे से जुड़े लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता तथा उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

iv) लेखा के आधार पर तथा हासिल किए गए ऑडिट साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा गोइंग कनसर्न अथवा उन्नतिशील व्यवसाय के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना भले ही मौजूद सामग्री अनिश्चितता ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों से जुड़ी हो जो कि एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में जारी बने रहने में कम्पनी की क्षमता पर उल्लेखनीय शक डाल सके। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तब हमें वित्तीय विवरणों में किए गए खुलासे और यदि ऐसा खुलासे अपर्याप्त हैं, तब हमें अपने मत में संशोधन करने के लिए अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे निष्कर्ष अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां एक उन्नतिशील व्यवसाय के रूप जारी रहने में कम्पनी के समक्ष बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

v) खुलासों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरणों द्वारा निर्धारित लेन-देन और आयोजनों का इस रीति में प्रतिनिधित्व किया गया है जिससे उचित प्रस्तुतिकरण हासिल किया जाता है, का मूल्यांकन करना।

ग. भौतिकता, वित्तीय विवरण वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप में गलत विवरण का वेग होती है जो कि संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकारी योग्य यूजर के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम i) अपने ऑडिट कार्य के स्कोप की योजना तैयार करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने(तथा ii) वित्तीय विवरणों में चिन्हित किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

घ. हम अन्य मामलों के बीच, योजनाब) अवसर और ऑडिट तथा उल्लेखनीय ऑडिट परिणामों के समय के बीच गवर्नेंस से जुड़े आरोप का भी संचार करते हैं जिसमें कि आन्तरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय कमियां भी शामिल है जिनकी हमने अपने ऑडिट के दौरान पहचान की।

ड. साथ हम किसी कथन के साथ गवर्नेंस से जुड़े आरोप भी उपलब्ध कराते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नीतिशास्त्र आवश्यकताओं के साथ संकलित किया है और सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ इनका संचार करते हैं जिनके द्वारा हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित तरीके से सहन करने के लिए सोचा जाए और जहां कहीं लागू है, वहां संबंधित सुरक्षा के बारे में सोचा जाए।

अन्य जानकारी - निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

ग. कम्पनी का निदेशक मण्डल अपनी रिपोर्ट (यहां 'बोर्ड की रिपोर्ट' कहा गया है) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस रिपोर्ट में कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के तहत वांछित विभिन्न जानकारी शामिल होती है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे ऑडीटर्स की रिपोर्ट शामिल नहीं होती।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार अथवा मत में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल नहीं की जाती और हम किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को प्रकट नहीं करते।

घ. वित्तीय कथन की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ना है और ऐसा करने में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के कोर्स के दौरान हासिल की गई अपनी जानकारी अथवा वित्तीय कथनों के साथ बोर्ड रिपोर्ट में सामग्री की असंगतता है अथवा सामग्री का गलत अनुमान प्रकट होता है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि बोर्ड की रिपोर्ट में सामग्री का गलत अनुमान होता है तब हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की जरूरत है। हमने इस संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं की है।

अन्य मामले

क. वीएसडी एंड एसोसिएट द्वारा लेखा परीक्षित कम्पनीज (लेखा मानक) नियमावली, 2006 के अनुसरण में और वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के अनुसरण में तैयार किया गया और पहले से जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी है जिसे इन वित्तीय विवरणों पर गैर संशोधित मत के रूप में प्रकट किया गया था।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत अथवा विचार संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) में वांछित है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने वे सभी सूचनाएं व विवरण प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में कानून के अनुसार आवश्यक लेखा के उचित खाते कम्पनी द्वारा रखे गए, जैसा कि इन खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ व हानि तथा नकदी प्रवाह का लेखा-जोखा अथवा विवरण लेखा बही के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में, वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

ड) दिनांक 31 मार्च, 2019 को कम्पनी के सभी निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को कम्पनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के संबंध में किसी निदेशक की नियुक्ति किए जाने हेतु अयोग्य नहीं है ।

च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के संबंध में 'अनुलग्नक क' में हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट से संबंधित है । हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर गैर संशोधित मत प्रकट किया गया है।

छ) कम्पनी (ऑडिट एवं आडीटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :

i) कम्पनी में किसी प्रकार की मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो;

ii) ऐसा कोई भी व्युत्पन्न अनुबंध जिससे कोई तात्विक दृष्टव्य नुकसान हो, सहित कम्पनी का कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं है;

iii) ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड को स्थानांतरित करने की जरूरत हो;

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (ऑडीटर्स रिपोर्ट) आदेश 2016 (दि ऑर्डर) में वांछित है, हमने आदेश के पैरा 3 व 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक कथन को 'अनुलग्नक B' में प्रस्तुत किया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार मामलों पर यह रिपोर्ट अनुबंध-C के रूप में संलग्न है।

कृते एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 11450
UDIN : 19011450 AAAABM 8492

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च, 2020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अनुबंध A

कम्पनीज अधिनियम 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उप-धारा 3 की धारा (i) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की अपनी ऑडिट के साथ मिलकर दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लिमिटेट (''दि कम्पनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंस्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और उसका रख रखाव करने के लिए कम्पनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में शामिल है : पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रख-रखाव जो कि अपने व्यवसाय के उचित तथा प्रभावी तरीके से आयोजन सुनिश्चित करने हेतु कुशलता से चलाई जा रही थी। साथ ही इसमें जैसा कि कम्पनीज अधिनियम, 2013 में वांछित है, कम्पनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों से सुरक्षा एवं उनका पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियत्रण के बारे में अपना विचार प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इंस्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी और कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षा पर मानदण्ड और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण ('मार्गदर्शन नोट') के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा को आयोजित किया । यह इंस्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी एवं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट दोनों के लिए लागू आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट की सीमा तक लागू है। उन मानदण्डों तथा मार्गदर्शन नोट में आवश्यकता है कि हम वांछनीय आश्वासन हासिल करने में ऑडिट की योजना और निष्पादन में नीतिशास्त्र जरूरतों का अनुपालन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी और रख रखाव किया गया था और यदि ऐसे नियंत्रण को सभी सामग्री के संबंध में प्रभावी ढ़ंग से संचालित किया गया था।

हमारी लेखा परीक्षा अथवा ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा इसकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य हासिल करने में कार्यविधि का पालन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा अथवा ऑडिट में शामिल था: वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ हासिल करना, विद्यमान कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता की डिजाइन तैयार करना, जांच करना तथा मूल्यांकन करना। चयनित कार्यविधि लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर थी जिसमें धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय कथनों के गलत अनुमानों के जोखिमों का मूल्यांकन करना शामिल था।

हमें यह विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे ऑडिट विचार के लिए आधार प्रदान करने में हमारे द्वारा हासिल किए गए ऑडिट साक्ष्य पर्याप्त एवं समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसका डिजाइन इस प्रकार तैयार की गई जिससे आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय कथनों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान किया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियां एवं कार्यविधियां शामिल हैं :

(1) रिकॉर्ड का रखरखाव करने के संबंध में जिनका कि यथोचित विवरण हो, जो सटीक एवं उचित तरीके से कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेन देन और प्रकृति को दर्शाता हो।

(2) यथोचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में वित्तीय कथनों को तैयार करने की अनुमति देने में अनिवार्यता के रूप में लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। तथा कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय को कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही किया जा रहा है; तथा

(3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका कि वित्तीय कथनों पर प्रभाव हो सकता है, का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के बारे में यथोचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण जिनमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवर-राइड, हो सकने वाली नहीं पहचानी गई त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत अनुमान अथवा कथन शामिल है। इसके साथ ही, जोखिम होने पर भावी अवधियों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान शामिल हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त बन सकते हैं अथवा नीतियों अथवा कार्यविधियों के अनुपालन की डिग्री अपघटित हो सकती है।

मत अथवा दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में, सभी प्रकार के मामलों में कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को 31 मार्च, 2019 के अनुसार प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा था। इनका आधार इंस्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण मानदण्ड था।

एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फ्र.आर. सं. 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
M.No. 011450
UDIN : 19011450AAAABM8492

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 मार्च, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध 'B'

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा विवरणों पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ के संदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समसंख्यक दिनांक के पत्र के संदर्भ में अनुबंध 'B' प्रस्तुत है। हमारी रिपोर्ट है कि :

क) कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का रख-रखाव किया गया है;

ख) कम्पनी की नियत परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई।

ग) कम्पनी के पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई इन्वेंटरी तैयार नहीं की गई, इसलिए पैराग्राफ 3 (ii) के तहत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं है।

iii) (क) हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों सीमित देनदारी भागीदारी अथवा अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (a) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(ख) कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में सूचीब) बॉडीज कारपोरेट को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है। इसलिए, मूल राशि का पुन: भुगतान करने के संबंध में आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (b) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(ग) कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में सूचीब) बॉडीज कारपोरेट को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है और नब्बे दिनों से अधिक समय की कोई ओवरडयू राशि नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (c) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

iv) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा धारा 185 एवं 186 के तहत शामिल किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी गई इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(iv) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

v) कम्पनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi) हमारी राय में तथा कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (क) के तहत कम्पनीज (लागत रिकॉर्ड एवं ऑडिट) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख रखाव करने की जरूरत निर्धारित नहीं की गई है।

vii) क) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और साथ ही कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी द्वारा समुचित एथारिटीज के पास वर्ष के दौरान प्रोवीडेन्ट फण्ड, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, कस्टम डयूटी, मूल्य वर्धित कर, सेस तथा अन्य सांविधिक देय सहित सभी अविवादित सांविधिक देय के संबंध में लेखा पुस्तिका में काटी गई अथवा अर्जित की राशि को नियमित रूप से जमा कराया गया है। जैसा कि हमें बताया गया है, कम्पनी में कर्मचारियों के राज्य बीमा और एक्साइज डयूटी तथा जीएसटी के संबंध में किसी प्रकार का देय बकाया नहीं है। कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि की तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2019 के दिन तक कम्पनी के ऊपर प्रोवीडेन्ट फण्ड, आयकर, बिक्री कर, सम्पदा कर, सेवा कर, कस्टम डयूटी, मूल्य वर्धित कर, सेस एवं अन्य सांविधिक देय बकाया नहीं है।

ख) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देय, जैसा लागू है, के मामले में कोई विवादित राशि का भुगतान करना बकाया नहीं है।

viii) कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार तथा साथ ही कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक या ऋणदाता की कर्जदार नहीं है।

ix) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा प्रारंभिक/पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपायों सहित) अथवा आवधिक ऋण के माध्यम से किसी प्रकार की निधि एकत्रित नहीं की गई।

x) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम्पनी की ओर से अथवा कम्पनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं पाई गई।

xi) सरकारी कम्पनियों को कुछ निश्चित छूट देते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियिम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xi) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

xii) कम्पनी कोई निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

xiii) संबंधित पक्षों के साथ सभी प्रकार का लेन-देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 के अनुपालन में किया जाता है और जैसा कि लागू लेखा मानकों में वांछनीय है, इसका वर्णन वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

xiv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों का किसी प्रकार का निजी प्लेसमेंट अथवा पसंदीदा आवंटन नहीं किया गया।

xv) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने साथ जुड़े निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेन देन नहीं किया ।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
M.No. 011450
UDIN : 19011450AAAABM8492

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-B

(समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक जरूरतों के खण्ड पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

1.	क्या कम्पनी द्वारा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमश: टाइटल/लीज डीड को क्लीयर कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार कोई फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि नहीं है।
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि को छूट देने अथवा बट्टे खाते डालना का कोई मामला है / यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।	इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं तीसरे पक्ष के पास प्रविष्टियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	कम्पनी में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है और सरकार अथवा अन्य प्राधि करणों से कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई अत: यह लागू नहीं होता।
4.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के लेन-देन की एकाउन्टिंग के लिए प्रणाली मौजूद है / यदि हॉ, तो वित्तीय निहितार्थ यदि कोई है, के साथ साथ लेखा की अखण्डता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेन-लेन की एकाउन्टिंग प्रक्रिया के निहितार्थ के बारे में बताया जाए।	हॉ, कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी प्रकार के लेन-देन की प्रक्रिया प्रणाली विद्यमान है। कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी से बाहर किसी प्रकार का लेन-देन नहीं पाया गया।
5.	क्या ऋण की अदायगी करने में कम्पनी की अक्षमता के कारण कम्पनी को किसी ऋणदाता द्वारा किसी मौजूदा ऋण अथवा ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को त्यागने की किसी प्रकार की पुन: संरचना अथवा कोई प्रणाली है। यदि हॉ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए।	ऐसा कोई मामला नहीं है।
6.	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेन्सियों से किसी विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त की गई अथवा प्राप्त योग्य निधि को इसके नियम व शर्तों के अनुसार उचित तरीके से लेखा में शामिल किया गया है अथवा निधि का समुचित उपयोग किया गया है / विचलन के मामलों की सूची दें।	हॉ, किसी प्रकार का विचलन नहीं पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में तथा हमें ज्ञात जानकारी और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, किसी प्रकार की कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है और इसका कम्पनी के लेखा तथा वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
M.No. 011450
UDIN : 19011450AAAABM8492

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के लेखों की लेखा-परीक्षा (ऑडिट) की है । साथ ही यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
M.No. 011450
UDIN : 19011450AAAABM8492

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

प्रपत्र सं.: एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़
CIN: U01400DL2011GOI226486
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012

हमने, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (यहां 'कम्पनी' कहा गया है)** द्वारा अपनाई गई बेहतर कॉरपोरेट रीतियों के अनुपालन में सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया। सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉरपोरेट आयोजनों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित आधार मिला।

मूल्यांकन के दौरान हमने कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, पेपरों, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत रिटर्न और कम्पनी द्वारा रख-रखाव किए गए रिकॉर्ड का सत्यापन किया। इसके अलावा हमने सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, इसके एजेन्टों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का भी सत्यापन किया। दिनांक 31 मार्च, 2019 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान एतद्दवारा प्रस्तुत रिपोर्ट में हमारा मत है कि कम्पनी द्वारा नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का सामान्तया अनुपालन किया गया है तथा साथ ही कम्पनी में एक उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है जिसके बारे में नीचे बताया गया है :

हमने, दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों, प्रस्तुत रिटर्न तथा रख-रखाव किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) तथा समय-समय पर संशोधित नियमावली;

(i) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इस पर निरूपित नियमावली

साथ ही हमने, निम्नलिखित के संबंध में उपयुक्त धाराओं का अनुपालन करते हुए जांच की :-

i) दि इंस्टिटयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सांविधिक मानदण्ड

ii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2003

iv) केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर के उद्यमों (CPSEs) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश

v) मनी लॉउण्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित आकलन होने पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम, कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है :-

1 कम्पनीज की नियमावली 4 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 149 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता)

के अनुसार कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए, हालांकि, कम्पनी द्वारा किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया है।

2 कम्पनीज नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 149 (निदेशक की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसार जैसा कि कम्पनी द्वारा वांछित संख्या में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है, इसलिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी का निदेशक मण्डल विधिवत तरीके से गठित नहीं किया गया।

3 धारा 149 (8) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी द्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक बुलाई जाती है, हालांकि, कम्पनी द्वारा ऐसी कोई अलग बैठक नहीं बुलाई गई क्योंकि कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

4 ऑडिट समिति, नामांकन एवं मानदेय समिति का गठन कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 177, 178 एवं 135 के अनुसार नहीं किया गया था।

5 धारा 173 (1) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार की रीति में प्रति वर्ष कम्पनी के निदेशक मण्डल की कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, को पूरा नहीं किया गया। दिनांक 03 अप्रैल, 2018 एवं दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को आयोजित की गई दो बैठकों के बीच अन्तराल 120 दिनों से अधिक था।

6 धारा 118 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त को अगली बैठक में रखना चाहिए। हालांकि, दिनांक 12 मार्च, 2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 03 अप्रैल, 2019 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया।

7 धारा 184 (1) के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निदेशक मण्डल की पहली बैठक में प्रत्येक निदेशक द्वारा हितों का खुलासा किया जाए लेकिन कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को आयोजित दूसरी बैठक में हितों का खुलासा प्राप्त किया है। सचिवीय मानदण्ड-1 के अनुसार बैठक के निष्कर्ष समय का भी वर्णन नहीं किया गया।

8 धारा 161 के अनुसार, निदेशक मण्डल को ऐसे किसी व्यक्ति जो कि अपर निदेशक के रूप में एक सामान्य बैठक में निदेशक के तौर पर नियुक्त होने से रह गया हो, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति है, हालांकि, श्री बिम्बाधर प्रधान को अपर निदेशक के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

9 धारा 134 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक का वार्षिक मूल्यांकन सम्पूर्ण निदेशक मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए, हालांकि, कम्पनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था इसलिए ऐसा नहीं किया गया।

10 धारा 189 के अनुसार, किसी भी शेयर (पसंदीदा शेयर सहित) में लाभकारी हित की घोषणा को प्रपत्र एमजीटी-6 में भरा जाना चाहिए, लेकिन कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली एवं हरियाणा को ऐसी कोई घोषणा नहीं प्रस्तुत की गई।

11 धारा 92 के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक आम सभा के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास प्रपत्र संख्या एमजीटी-7 में वार्षिक रिटर्न को भरा जाना चाहिए।

वार्षिक आम सभा की तारीख	एमजीटी 7 को प्रस्तुत करने की देय तिथि	एमजीटी 7 की वास्तविक तारीख
10 दिसम्बर, 2018	09 फरवरी, 2019	29 मार्च, 2019

12 धारा 117 के अनुसार, धारा 102 के तहत विवरणात्मक कथन के साथ प्रत्येक संकल्प अथवा किसी भी समझौते की एक प्रति, यदि कोई है तो उसे बुलाई गई बैठक जिसमें कि संकल्प को प्रस्तुत किया जाना है, में नोटिस के रूप में जोड़ा जाए और प्रपत्र MGT 14 में संकल्प पारित करने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाए। हालांकि, कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा कम्पनीज अधिनियम में वर्णित निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रपत्र एमजीटी-14 को नहीं प्रस्तुत किया गया है।

13 सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में प्रदान की कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है :

- दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड का संयोजन;
- दिशानिर्देशों के अनुसार समितियों का गठन नहीं किया गया;
- तिमाही अनुपालन

कम्पनी पर लागू अन्य कानूनों के संबंध में, हमने ऑडिट जांच के दौरान कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी/आंकड़ों पर विश्वास किया है और उस सीमा तक रिपोर्ट की जा रही है।

हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन नहीं किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मण्डल के गठन में किए गए बदलावों को अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड के बैठकों की समय-सारणी, कार्यसूची मदों तथा कार्यसूची मदों पर विस्तृत नोट्स के संबंध में सभी निदेशकों को नोटिस अथवा सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर दी गई थी और साथ ही बैठक के पहले एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मदों पर पुनः जानकारी तथा स्पष्टीकरण हासिल करने हेतु कम्पनी में एक प्रणाली पहले से विद्यमान है।

निदेशक मण्डल तथा समिति बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।

हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों की निगरानी करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने में कम्पनी के आकार और ऑपरेशन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी में कानून, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों आदि के अनुसरण में कम्पनी मामलों को प्रभावित करने वाली कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

हस्ताक्षर
सौरभ अग्रवाल
(सौरभ अग्रवाल एंड कम्पनी,
कम्पनी सचिव)
एफसीएस नं. 5430
सी.पी. नं. 4868

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 जुलाई, 2019

'अनुलग्नक ए'

सेवा में,
सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़
CIN: U01400DL2011GOI226486
जी–2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली – 110 012

इस पत्र के साथ समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट को भी पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का प्रबंधन करना कम्पनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपने विचार प्रकट करना हमारा दायित्व बनता है।
2. जहां कहीं आवश्यक था, हमने, कानूनों, नियमों, विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिवेदन हासिल किया।
3. कॉरपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, जांच आधार पर कार्यविधियों के प्रमाणन तक सीमित थी।
4. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सटीकता के बारे में न्यायोचित विश्वास हासिल करने के लिए जरूरी रीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। जांच के आधार पर प्रमाणन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई कार्यविधि एवं रीतियों के परिणामस्वरूप हमारे विचार को एक न्यायोचित आधार मिलता है।
5. हमने, समीक्षा अवधि के लिए सांविधिक ऑडीटर्स रिपोर्ट पर विश्वास किया है, अत: हमारे द्वारा कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तिका की सटीकता व उपयुक्तता का प्रमाणन नहीं किया गया।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में और न ही सक्षमता अथवा प्रभावशीलता का कोई आश्वासन है जिसके साथ कम्पनी के मामलों का प्रबंधन किया गया है।

सौरभ अग्रवाल एंड कम्पनी
(कम्पनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

सौरभ अग्रवाल
(पार्टनर)
FCS % 5430
CP No. % 4868

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) अथवा 139 (7) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के तदनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दिनांक **03 मार्च, 2020** की इनकी **संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट** के अनुसार उन्होंने यह कार्य कर दिया है जो कि **दिनांक 25 जुलाई, 2019 एवं 22 नवम्बर, 2019 की इनकी पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट** के स्थान पर है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत, **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** की 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है । इस पूरक लेखा परीक्षा को सांविधिक लेखा परीक्षकों के वक्रिंग पेपर तक पहुंच के बिना ही स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह रिपोर्ट मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी कार्मिकों की जिज्ञासा अथवा पूछताछ के लिए तथा कुछ एकाउन्टिंग रिकार्ड की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है ।

जैसा कि वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 24 में दर्शाया गया है, प्रबंधन द्वारा दिए गए वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक ऑडिट के दौरान उठाए गए मेरे कुछ ऑडिट आकलन पर मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में जोड़ने के लिए मेरी ओर से किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दी जाती।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह0/-

(अमिताभ प्रसाद)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.04.2020